


कार्यालय— मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (मा०शि०) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
आदेश संख्या/सेवा.अराज./ ५३२ /३क(२)/नियुक्ति/2018-19/दिनांक २०/०८/१८
विज्ञापि/नियुक्ति

उत्तराखण्ड, अधीनरथ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली—2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनरथ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली—2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रूड़की के विज्ञापन संख्या— 5600 /उप्राशिप / एल०टी०भर्ती / 2014 दिनांक 23-02-2014 (यथासंशोधित) के क्रम में सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के पत्रांक/1006/उप्राशिप/एल.टी.भ.च.सं./2018-19/दिनांक 24.07.2018 द्वारा 60 प्रतिशत सीधी भर्ती परीक्षा के अन्तर्गत प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को स्नातक वेतनक्रम (वेतनमान 44900—142400 वेतन मैट्रिक्स में स्तर 07) में सहायक अध्यापक एल.टी. (विषय-हिन्दी) के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्बुद्ध स्तम्भ—9 में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी और किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यद्यपि उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों से सत्यापन किया गया है तथापि भविष्य में प्रमाण पत्रों में कोई संदिग्धता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा।

विषय: हिन्दी (शाखा—सामान्य)

क्र. सं.	चयन सूची का क्रमांक /	अभ्यर्थी का नाम /पिता/पति का नाम एवं पता	जन्म तिथि	गृह जनपद	जाति	उप श्रेणी	लिखित परीक्षा गुणांक	पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04 / 24.07.2018	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी पुत्र श्री रमेश चन्द्र तिवारी, ग्राम—सरकोट, पोस्ट—नन्दकेशरी, वाया—देवाल, चमोली। (पिन कोड—246427)	30.04.1987	चमोली	सामान्य	—	127.75	रा.उ.मा.वि. रैन (देवाल) चमोली	श्री कौस्तुबा नन्द स.अ. के पद के प्रति
2	05 / 24.07.2018	श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री हरि सिंह, डाकघर—नेहरुग्राम, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, सूचना भवन, निकट—आयुक्त कर, रिंग रोड, देहरादून। (पिन कोड—248001)	16.09.1987	ठिहरी	सामान्य	—	127.75	रा.उ.मा.वि. झिंवाली (प्रतापनगर) ठिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	07 / 24.07.2018	श्री विजेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद, ग्राम—मौनियाडा, पोस्ट—रजाखेत, पट्टी—धारमण्डल, तहसील—प्रतापनगर, ठिहरी। (पिन कोड—249001)	21.08.1978	ठिहरी	सामान्य	—	127.25	रा.उ.मा.वि. बैल्डोगी (प्रतापनगर) ठिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	08 / 24.07.2018	श्री सुनील दत्त भद्री पुत्र श्री नेत्रमणी, केयर ॲफ—जितेन्द्र कण्डारी, निकट—कण्डारी कॉम्प्लैक्स, 14 बीघा नयापुल, चन्द्रभागा, पोस्ट—मुनि की रेती, ठिहरी गढ़वाल। (पिन कोड—249137)	26.07.1982	ठिहरी	सामान्य	—	127.25	रा.उ.मा.वि. सौंदी (प्रतापनगर) ठिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति


 (महावीर सिंह विष्ट)
 मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)
 गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

१. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

२. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।

३. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।

४. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद ।

५. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी ।

६. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) ।

७. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) ।

८. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को इस आशय के साथ कि नियुक्त/पदस्थापित अभ्यर्थियों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अंकित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित का वेतन आहरण किया जाय ।

९. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद ।

१०. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से) इस निर्देश कि साथ कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपेडट करना सुनिश्चित करें ।

११. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि अभ्यर्थी का विषय संयोजन उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-२०१४ एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-२०१४ में हिन्दी विषय हेतु विहित अर्हता (विद्यालयी शिक्षा की वेबसाईट पर उपलब्ध है) के अनुरूप न हो / सम्बन्धित अभ्यर्थी यू.टी.ई.टी.-२ अथवा सी.टी.ई.टी.-२ उत्तीर्ण न हो / प्रशिक्षण योग्यता एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त न हो / अभ्यर्थी की आयु दिनाक ०१-०१-२०१४ को २१ वर्ष से कम तथा ४२ वर्ष से अधिक हो (अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.वग/विकलांग/भू.सै. अभ्यर्थियों के अतिरिक्त) तो अभ्यर्थी को कदापि कार्यभार ग्रहण न कराया जाय । साथ ही सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों / शैक्षिक तथा प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियां अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें । सम्बन्धित अभ्यर्थी के पूर्व से राजकीय सेवा/अशासकीय सेवा में कार्यरत होने की दशा में विधिवत अनुमति प्राप्त कर अथवा नियमानुसार त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने पर ही उन्हें पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उसी दिन पंजीकृत डाक से अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करायी जाय । यदि विद्यालय में मानकानुसार Rationalization से अध्यापकों की आवश्यकता न हो तो पद रिक्त होने पर भी कदापि कार्यभार ग्रहण न करायें ।

प्रमाण पत्र


मैं (संस्थाध्यक्ष का नाम).....पदनाम.....विद्यालय का नाम.....
एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा सम्बन्धित अध्यापक के समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की भलीभाँति जॉच कर ली गयी है तथा समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं । तदोपरान्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी श्री / श्रीमती / कु.
पद.....विषय.....को दिनांकके पूर्वान्ह / अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा दिया है ।

ह० संस्थाध्यक्ष

नाम—

पदनाम एवं सील

१२. सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के निर्गत होने के १५ दिन के अन्तर्गत अपने तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें । यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी । कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा सम्बन्धित संस्था प्रधान के सम्मुख नियुक्ति आदेश के साथ अपने समस्त शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो सैट प्रमाणित छायाप्रति), स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के दो प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र अन्य आरक्षित श्रेणी होने की दशा में वांछित प्रमाण-पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन करने की तिथि से पूर्व का पंजीकरण / नवीनीकरण प्रमाण-पत्र, अन्तिम संस्था जहाँ से शिक्षा प्राप्त की हो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, विवाहित होने की स्थिति में एक ही जीवित पत्नी / पति होने का प्रमाण-पत्र, संघ / राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण-पत्र एवं इस आशय की घोषणा पत्र कि " मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद विचाराधीन नहीं है, न ही मेरे द्वारा मा. न्यायालय में कोई वाद योजित किया गया है, और न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है", का प्रमाण-पत्र संस्थाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा । (पंजीकृत)



नोट— किसी भी अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी के शैक्षिक / प्रशिक्षण / जाति एवं अन्य प्रमाण—पत्रों का भौतिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति / अनियमितता पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी कार्यभार ग्रहण—करने के समय इस आशय का अनुबन्ध पत्र भी निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।

13. कार्यालय प्रति।


(महावीर सिंह बिष्ट) 20/8/18
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

अनुबन्ध—पत्र

मैं अभ्यर्थी का नाम.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.....सहायक
अध्यापक, विद्यालय का नाम.....एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग
द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करुगां / करुंगी एवं अपने सगे सम्बन्धियों के माध्यम से स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं
करुगा / करुंगी।

ह0

नाम—

पदनाम एवं विद्यालय का नाम

प्रतिहस्ताक्षरित
ह0 एवं सील संरक्षाध्यक्ष